



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 8500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 8500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग 35/02 धारा 379/304ए भादवि के अभियुक्त कमरुद्दीन पुत्र फिरोजुद्दीन निवासी सादीपुर थाना चिल्ला जनपद बांदा को **01 वर्ष के कारावास व 3500/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 234/99 धारा 379/337/427/304ए भादवि के अभियुक्त कामता पुत्र रामबदन आरख नि0 थाना बदौसा जनपद बांदा को **01 वर्ष के कारावास व 5000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।